उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण अनुभाग-**2**

संख्या-07/2019/28(2)/55-पर्या-2-19-68(पर्या0)/2018

लखनऊः दिनांकः 12 मार्च**,** 2019

"शुद्धि-पत्र"

शासनादेश संख्या-02/2019/28/55-पर्या-2-2019-68(पर्या0)/2018 दिनांक 05-01-2019 में निर्गत संशोधनादेश संख्या-03/2019/28(1)/55-पर्या-2-19-68(पर्या0)/2018 दिनांक 12-02-2019 की प्रतिलिपि में त्रुटिवश निदेशक, पर्यावरण, उ0प्र0, लखनऊ का अंकन छूट गया है।

अतःसंशोधनादेश संख्या-03/2019/28(1)/55-पर्या-2-19-68(पर्या0)/2018 दिनांक 12-02-2019 के प्रतिलिपि क्रमांक-5 पर निदेशक, पर्यावरण, उ0प्र0, लखनऊ पढ़ा जाय। शासनादेश की अन्य शर्ते यथावत रहेगीं। उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भारत प्रसाद

अनु सचिव।

संख्या-07/2019/28(2)/55-पर्या-2-19-68(पर्या0)/2018 तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ, उ0प्र0।
3- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-7/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/2
4- नियोजन अनुभाग-4/राज्य योजना आयोग-1
5- निदेशक, पर्यावरण, उ0प्र0, लखनऊ।

आज्ञा से,

(भारत प्रसाद)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in